कैसे करें विकलांग जनों के अधिकारों की सुरक्षा ?

सौजन्य से – श्रीमति स्नेह लता अग्रवाल, आई0ए0एस0
आयुक्त, विकलांग जन, उत्तराखण्ड ।

प्रश्न – क्या कोई कानूनी प्रावधान है जिससे विकलांग जनों के अधिकारों की रक्षा होती हो ?

उत्तर – भारत की संसद विकलांग जन (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 पारित किया गया जो 7 फरवरी 1996 से अमल में लाया जा रहा है। यह कानून विकलांगजनों के अधिकारों की पूर्ण रक्षा, समान अवसर प्रदान करने व समाजिक कार्यो में पूर्ण भागीदारी देने हेतु लाया गया था।

प्रश्न – ऐसा कानून का क्यों प्रावधान किया गया ?

उत्तर – संस्थागत देखभाल के बदले सामुदायिक देखभाल की जरूत को देखते हुए विकलांगजनों को सहायक उपकरण, शिक्षा एवं प्रशिक्षण हेतु ये व्यवस्था की गयी। ये महसूस किया गया कि विकलांगजन जिस वातावरण में रहते है। उसमें आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। पिछले दशकों में राष्ट्रीय व अन्तराष्ट्रीय स्तर पर विकलांगगजनों को चिकित्सा सुविधा व सामाजिक कल्याण के अतिरिक्त समान अवसर, समाज में पूर्ण भागीदारी व समावेश व मानवधिकारों की सुरक्षा हेतु इस कानून की जरूरत महसूस की गयी। हमारी देश की आबादी का 1.8 प्रतिशत विकलांग जन है। उनेस से करीब 11 प्रतिशत एक से अधिक विकलांगता से ग्रस्त है।

प्रश्न – इस कानून के लाभ क्या है ?

उत्तर – इस कानून के तहत निम्न तरह की विकलांगताएं शामिल की गयी है।

1. **दृष्टिगत विकलांगता** – पूर्ण अंधता या चश्में की पावर 6/60 या अधिक हो या दृटि कोण 20^0 से भी संकुचित हो ।
2. **श्रवण बाधित** – जब कान की सुनने की क्षमता में 60 डेसीबल का ह्रास हो।
3. **चलने फिरने में विकलांगता** – जोड़ो, हड्डियो, मांसपेशियों में कमी की वजय से चलने फिरने में असाधारण कमी।
4. **मंद बद्धिता** – अपूर्ण या बाधित मानसिक विकाय जिसके द्वारा व्यक्ति में समझदारी / बुद्धिमता में कमी।
5. **मानसिक रोग** –
6. **कुष्ट रोगी** – जिसमें हाथ / पैरों में सुत्रता हो व आंख या कान प्रभावित हो ।

प्रश्न – इस कानून के तहत लाभ उठाने हेतु विकलांगजन के पास कौन–कौन से दस्तावेज आवश्यक है ?

उत्तर –

1. विकलांगता दर्शाता हुआ फोटो
2. निवास प्रमाण पत्र
3. विकलांगता प्रमाण पत्र (मुख्य चिकित्साधिकारी प्रदत्त)

प्रश्न – विकलांगता प्रमाण पत्र कैसे मिलता है ?

उत्तर – प्रत्येक जिला अस्पताल से हर माह / सप्ताह के –– दिन एक मेडिकल बोर्ड का गठन विकलांगों को प्रमाण पत्र देने हेतु किया जाता है। इसमें अस्थि रोग, नेत्र रोग, मानसिक रोग, कान, नाक, गला, विशेषज्ञ व क्लीनिकल मनोवैज्ञानिक होते है जो विस्तृत परीक्षण उपरान्त विकलांगता का प्रतिशत निर्धारित करने के उपरान्त विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करते है। यह सेवा पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें विकलांग जन की निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की छाया प्रतिलिपि व दो फोटो (जिनमें विकलांगता दर्शित हो) देने पड़ते है।

प्रश्न – विकलांगता प्रमाण पत्र के फायदे क्या है ?

उत्तर – विकलांगता प्रमाण पत्र सभी तरह के सरकारी लाभ उठाने हेतु अनिवार्य है। जैसे विकलांगता पेंशन, शिक्षण संस्थाओं एवं रोजगार में आरक्षण, बीमा योजना, बैंक से सस्ती दर पर ऋण, छात्रवृति, रेल व बस किराये में छूट आदि ।

प्रश्न – विकलांगता पहचान पत्र क्या है ?

उत्तर – ये प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा विकलांगजनों को जारी किये जाते है। इसके द्वारा राज्य सरकार की विकलांगजनों के हेतु चलायी जा रही कल्याण कारी योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है।

क्या आप जानते है कि प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा चलायी जा रही सर्व शिक्षा अभियान योजना अन्तर्गत 6 से 16 वर्ष तक विकलांगजनों की शिक्षा, पठन सामग्री की निःशुल्क व्यवस्था है। विकलांगजनों को विद्यालय मे जाने–आने हेतु वित्तीय सहायता का भी प्रबन्ध है व जो विकलांग विद्यालय जाने में असमर्थ है । उनके लिए घर पर ही शिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है।

प्रश्न – यदि विकलांगजनों के साथ शिक्षण, रोजगार या समाज मे कही भी भेदभाव हो तो क्या करें ?

उत्तर – प्रत्येक राज्य में इसके लिये आयुक्त विकलांगजन के कार्यालय की स्थापना की गयी है। निर्धारित प्रारूप पर आयुक्त विकलांगजन के यहां शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।

प्रश्न – विकलांगजनों को रोजगार में क्या आरक्षण उपलब्ध है ?

उत्तर – केवल सरकारी क्षेत्र में विकलांगजन अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत क्षैतिज 3 प्रतिशत, आरक्षण उपलब्ध है। जिसमें से 1 प्रतिशत दृष्टि बाधित, 1 प्रतिशत श्रवण बाधित व 1 प्रतिशत चलने फिरने से विकलांगजन हेतु आरक्षित है। सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में विकलांगजनों हेतु रोजगकार उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

प्रश्न – यदि कोई रोजगार के दौरान विकलांग हो जावें तो क्या होगा ?

उत्तर – सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में आपकी नौकरी बरकरार रहेगी। आपको कोई पदावानति भी नही दी जा सकती है।

जरूरी दस्तावेज ..... सरकारी कल्याणकारी योजनाएं	2 फोटो	विकलांगता प्रमाण पत्र	पहचान पत्र	राशन कार्ड	आय प्रमाण पत्र	B.P.L. केन्द्र	जन्म प्रमाण पत्र	स्कूली प्रमाण पत्र	अनुभव प्रमाण पत्र	कान की जाँच प्रमाण पत्र	निवास प्रमाण पत्र	अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा अंकतालिका
विकलांगता प्रमाण पत्र	✓	✓	✓				✓				✓	
पहचान पत्र	✓	✓	✓				✓				✓	
ट्राईसाईकिल	✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓	
कैलीपर्स	✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓	
बैसाखी	✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓	
कृत्रिम अंग	✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓	
सर्जीकल जूता	✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓	
पहिया कुर्सी	✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓	
सेटीबल पाल्सी वाकर	✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓	
कान की मशीन	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	
हाथ ठेला	✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓	
सिलाई मशीन	✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓	
टेलीफोन बूथ	✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓	
छात्रवृति	✓	✓		✓			✓	✓			✓	✓
शैक्षिक सामग्री				✓			✓	✓			✓	
रोजगार	✓	✓							✓		✓	